न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद ।

पीठासीन अधिकारीः श्री सत्य प्रकाश,उच्चतर न्यायिक सेवा ।

सत्र परीक्षण वाद सं० १८/२०१५

कम्प्यूटर पंजीयन सं० ००००५८१/२०१५

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोजक ।

बनाम

१. वीरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद,

२. राकेश मिश्र पुत्र अनन्तराम मिश्र,

३. सत्य पाल पुत्र राम बाबू ।

निवासीगण कस्बा व थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद ।

..........अभियुक्तगण ।

मु०अ०सं० ४८९/२०१४

धारा- ३०७/३४ भारतीय दण्ड संहिता,

थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद ।

एवं

सत्र परीक्षण वाद सं० १९/२०१५

कम्प्यूटर पंजीयन सं० ०००३५०२/२०१५

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोजक ।

बनाम

वीरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद । ....अभियुक्त ।

मु०अ०सं० ४९०/२०१४

धारा- ३/२५ आयुध अधिनियम,

थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद ।

एवं

सत्र परीक्षण वाद सं० २०/२०१५

कम्प्यूटर पंजीयन सं० ०००३५०३/२०१५

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोजक ।

बनाम

राकेश मिश्र पुत्र अनन्तराम मिश्र, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद । ....अभियुक्त ।

मु०अ०सं० ४९१/२०१४
धारा- ४/२५ आयुध अधिनियम,
थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद ।

एवं

सत्र परीक्षण वाद सं० २१/२०१५

कम्प्यूटर पंजीयन सं० ०००३५०४/२०१५

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोजक ।

बनाम

सत्य पाल पुत्र राम बाबू, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद।..अभियुक्त ।

मु०अ०सं० ४९२/२०१४
धारा- ४/२५ आयुध अधिनियम,
थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद ।

निर्णय

थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० ४८९/२०१४ में विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा ३०७ भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित किया गया । सत्र परीक्षणीय होने के कारण वाद द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० ११, फैजाबाद द्वारा दिनांक ०९-०१-२०१५ को सेशन-सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी ।

इसी प्रकरण से संबंधित मु०अ०सं० ४९०/२०१४ में विवेचनोपरान्त अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं मु०अ०सं० ४९१/२०१४ में विवेचनोपरान्त अभियुक्त राकेश मिश्र के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा ४/२५ आयुध अधिनियम तथा मु०अ०सं० ४९३/२०१४ में विवेचनोपरान्त अभियुक्त सत्य पाल के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा ४/२५ आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया । उक्त पत्रावलियों को भी द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० ११, फैजाबाद द्वारा दिनांक ०९-०१-२०१५ को सेशन-सुपुर्द किया गया । उक्त पत्रावलियाँ भी अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी ।

सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित १८-०३-२०१५ द्वारा सत्र परीक्षण सं० १८/२०१५ को सत्र परीक्षण सं० १९/२०१५, सत्र परीक्षण सं० २०/२०१५ एवं सत्र परीक्षण सं० २१/२०१५ का "Leading case" बना कर कार्यवाही अग्रसारित की गयी । उक्त सभी वादों का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १२-११-२०१४ को वादी मुकदमा थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद के प्रभारी निरीक्षक सत्य नरायन वर्मा मय हमराही उप निरीक्षक करूणानिधि, कांस्टेबिल अमर नाथ यादव, कांस्टेबिल नरेन्द्र प्रताप बिनावर पतारसी-सुरागरसी माल मुल्जिम मुकदमात चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति रोकथाम जुर्म-जरायम में मामूर होकर लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर बने लोहिया पुलिया के पास खड़े होकर मुखबिरान से बातचीत कर रहे थे, तभी क्राइम ब्रान्च स्वाट टीम के प्रभारी एस०आई० जय शंकर पाण्डेय अपने हमराहियों एस०आई० उदयवीर सिंह, कांस्टेबिल बलवन्त सिंह, कांस्टेबिल संजय यादव, कांस्टेबिल जितेन्द्र बहादुर, कांस्टेबिल धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेबिल बालकुश यादव, कांस्टेबिल ओम प्रकाश मय सरकारी वाहन के चालक जय प्रकाश के आकर मिले । मुखबिरान को रूखसत किया गया । वादी मुकदमा प्रभारी जय शंकर पाण्डेय से हाल की घटनाओं के संबंध में बातचीत कर रहा था कि तभी मु०अ०सं० ४१७/२०१४ धारा ३९४ भा०द०सं० थाना-रूदौली से संबंधित मजरूब अवधेश कुमार मिश्र बैंक से वापस आते समय रूक कर अपने मुकदमे के बारे में बातचीत करने लगे । इसी समय ग्राम मीसा की तरफ से हाई-वे की तरफ आने वाले रास्ते से एक मोटरसायकिल, जिस पर तीन व्यक्ति बैठे दिखायी पड़े, चेक करने के इरादे से पास में आने पर पुलिस दल की ओर से उनके रोके जाने पर जान से मारने की नीयत से मोटरसायकिल में पीछे बैठे व्यक्ति ने एक फायर कर दिया । बदमाश होने का शक

होने पर दोबारा फायर करने का मौका दिये बगैर वहीं सड़क पर घेर करके १०-१२ कदम की दूरी पर मय मोटरसायकिल समय करीब १७.३० बजे बदमाशों को पकड़ लिया गया । तीनों पकड़े गये बदमाशों का नाम-पता पूछने तथा जामा-तलाशी के पूर्व ही पास में पहले से मौजूद मौके पर ए०के० मिश्र, बैंक मैनेजर आ गये और पकड़े गये व्यक्तियों को देख कर अचानक तेज आवाज में कहने लगे कि यह तो वही लोग हैं, जिन्होने मेरे साथ दिनांक १३-०९-२०१४ को अमानीगंज-रूदौली मार्ग पर घटना की थी । इस पर सक्रियता बरतते हुये पीछे मोटरसायकिल पर बैठे हुये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा-तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । जामा-तलाशी में दाहिने हाथ में पकड़े हुआ एक अदद देशी पिस्टल .३२ बोर चालू हालत में बरामद हुआ । उसके पैण्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस .३२ बोर जीवित व कुल ६०/-रू० मिला । पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश मिश्र पुत्र अनन्तराम मिश्र, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । इसकी जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू जिसके फल की लम्बाई १० अंगुल एवं लोहे के बेंट की लम्बाई करीब १० अंगुल है, पीतल की बटन खोलने व बन्द करने के लिए लगी है तथा मु० ८०/-रू०, एक अदद सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ । पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र राम बाबू, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । इसकी जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू जिसके फल की लम्बाई ११ अंगुल एवं लोहे के बेंट की लम्बाई करीब १२ अंगुल है और मु० ११०/-रू० बरामद हुआ । मोटरसायकिल डिस्कवर पंजीयन सं० यू०पी० ४२-एक्स०/२७५७ की डिक्की को खोल कर देखा गया तो उसमें गैस सर्विस की पुरानी कुछ पर्चियाँ बरामद हुयी । मोटरसायकिल के कागजात प्रस्तुत नहीं किये जा सके । मोटरसायकिल को धारा २०७ मोटरवाहन अधिनियम सीज़ किया गया । बरामदशुदा पिस्टल व चाकूओं के संबंध में कोई लाईसेन्स प्रस्तुत नहीं किया गया । अभियुक्तों ने पूछतांछ में कई अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया । पुलिस दल पर जानलेवा फायर की घटना, बरामदशुदा पिस्टल एवं चाकूओं के संबंध में वैध लाईसेन्स प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में कारण बता कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । मौके पर जनता के गवाहान फराहम किये गये, परन्तु नावक्त होने के कारण कोई नहीं मिला। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में बोल-बोल कर एस०आई० करूणानिधि से लिखायी गयी । फर्द पर गवाहान हमराहियान एवं मौके पर उपस्थित बैंक मैनेजर ए०के०मिश्र के हस्ताक्षर कराये गये ।

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सत्य नरायन वर्मा द्वारा घटना की सूचना जरिए हिन्दी तहरीर (फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्तगण) प्रदर्श क-१ दिनांक १२-११-२०१४ को ही समय २१.३० बजे थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद में दिये जाने पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध मु०अ०सं० ४८९/२०१४ अन्तर्गत धारा ३०७ भा०द०सं० पंजीकृत किया गया । चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क-५ है जिसका तसकिरा कायमी जी०डी० प्रदर्श क-४ में किया गया । अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध मु०अ०सं० ४९०/२०१४ पर धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध क्रमशः मु०अ०सं० ४९१/२०१४, ४९२/२०१४ पर धारा ४/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं साक्षियों के बयान अंकित किये गये । घटनास्थल/बरामदगी स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त दृष्टि-चित्र प्रदर्श क-६ तैयार किया गया । अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क-११ प्राप्त की गयी । तमामी विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क-७ अन्तर्गत धारा ३०७ भा०द०सं० प्रेषित किया गया । अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क-८ अन्तर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम, अभियुक्त राकेश मिश्र के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क-९ अन्तर्गत धारा ४/२५ आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त सत्य पाल के विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क-१० अन्तर्गत धारा ४/२५ आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया ।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए । अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा ३०७/३४ भा०द०सं० विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और परीक्षण की याचना की । अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा ३/२५ आयुध अधिनियम विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की याचना की । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध पृथक पृथक आरोप अन्तर्गत धारा ४/२५ आयुध अधिनियम विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और परीक्षण की याचना की ।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन साक्षी सं० १ के रूप में इंसपेक्टर सत्य नरायन वर्मा को परीक्षित कराया गया । इस साक्षी अभियोजन कथन का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१ पर अपने हस्ताक्षर को

साबित किया है । इसके अतिरिक्त साक्षी ने सूचना मेमो एवं गिरफ्तारी मेमो क्रमशः प्रदर्श क-२ एवं प्रदर्श क-३ को साबित किया है । अभियोजन साक्षी सं०२ के रूप में कांस्टेबिल मोहर्रिर दिनेश कुमार यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने दिनांक १२-११-२०१४ को कोतवाली रूदौली में कांस्टेबिल मोहर्रिर के पद तैनात रहते हुए समय २१.३० बजे रपट सं० ४१ पर मुकदमे की कायमी मूल जी०डी० के साथ एक ही प्रासेस में कार्बनप्रति तैयार किया जाता कहहा और मूल जी०डी० से मिलान करके पत्रावली पर उपलब्ध कार्बनप्रति जी०डी० को प्रदर्श क-४ के रूप में साबित किया है ।

इस स्तर पर बचाव-पक्ष की तरफ से अभियोजन प्रपत्रों की यथार्थता स्वीकार की गयी । अभियोजन प्रपत्रों पर प्रदर्श अंकित किये गये ।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने जाने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० अभिलिखित किये गये । अभियुक्तगण ने गलत साक्ष्य देना बताया । कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

बचाव-पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन किया ।

अभियुक्तगण पर यह अभियोग है कि दिनांक १२-११-२०१४ को समय करीब ०५.३० बजे शाम, बस्थान ग्राम शिव चरन का पुरवा, थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद में अभियुक्तगण ने एकराय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में पुलिस दल पर आग्नेयास्त्र से फायर करके उनकी हत्या का प्रयास किया । पकड़े गये अभियुक्तगण में से अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के पास से दौरान जामातलाशी अवैध तमंचा .३२ बोर व .३२ बोर जीवित कारतूस की बरामदगी की गयी ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी) प्रदर्श क-१ के अनुसार दिनांक १२-११-२०१४ को वादी मुकदमा थाना-रूदौली, जिला फैजाबाद के प्रभारी निरीक्षक सत्य नरायन वर्मा मय हमराही उप निरीक्षक करूणानिधि, कांस्टेबिल अमर नाथ यादव, कांस्टेबिल नरेन्द्र प्रताप बिनावर पतारसी-सुरागरसी माल मुल्जिम मुकदमात चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति रोकथाम जुर्म-जरायम में मामूर होकर लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर बने लोहिया पुलिया के पास खड़े होकर मुखबिरान से बातचीत कर रहे थे, तभी क्राइम ब्रान्च स्वाट टीम के प्रभारी एस०आई० जय शंकर पाण्डेय अपने हमराहियों एस०आई० उदयवीर सिंह, कांस्टेबिल बतवन्त सिंह, कांस्टेबिल संजय यादव, कांस्टेबिल जितेन्द्र बहादुर, कांस्टेबिल धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेबिल बालकुश यादव, कांस्टेबिल ओम प्रकाश मय

सरकारी वाहन के चालक जय प्रकाश के आकर मिले । मुखबिरान को रूखसत किया गया । वादी मुकदमा प्रभारी जय शंकर पाण्डेय से हाल की घटनाओं के संबंध में बातचीत कर रहा था कि तभी मु०अ०सं० ४१७/२०१४ धारा ३९४ भा०द०सं० थाना-रूदौली से संबंधित मजरूब अवधेश कुमार मिश्र बैंक से वापस आते समय रूक कर अपने मुकदमे के बारे में बातचीत करने लगे । इसी समय ग्राम मीसा की तरफ से हाई-वे की तरफ आने वाले रास्ते से एक मोटरसायकिल, जिस पर तीन व्यक्ति बैठे दिखायी पड़े, चेक करने के इरादे से पास में आने पर पुलिस दल की ओर से उनके रोके जाने पर जान से मारने की नीयत से मोटरसायकिल में पीछे बैठे व्यक्ति ने एक फायर कर दिया । बदमाश होने का शक होने पर दोबारा फायर करने का मौका दिये बगैर वहीं सड़क पर घेर करके १०-१२ कदम की दूरी पर मय मोटरसायकिल समय करीब १७.३० बजे बदमाशों को पकड़ लिया गया । तीनों पकड़े गये बदमाशों का नाम-पता पूछने तथा जामा-तलाशी के पूर्व ही पास में पहले से मौजूद मौके पर ए०के० मिश्र, बैंक मैनेजर आ गये और पकड़े गये व्यक्तियों को देख कर अचानक तेज आवाज में कहने लगे कि यह तो वही लोग हैं, जिन्होने मेरे साथ दिनांक १३-०९-२०१४ को अमानीगंज-रूदौली मार्ग पर घटना की थी । इस पर सक्रियता बरतते हुये पीछे मोटरसायकिल पर बैठे हुये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा-तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । जामा-तलाशी में दाहिने हाथ में पकड़े हुआ एक अदद देशी पिस्टल .३२ बोर चालू हालत में बरामद हुआ । उसके पैण्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस .३२ बोर जीवित व कुल ६०/-रू० मिला । पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश मिश्र पुत्र अनन्तराम मिश्र, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । इसकी जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू जिसके फल की लम्बाई १० अंगुल एवं लोहे के बेंट की लम्बाई करीब १० अंगुल है, पीतल की बटन खोलने व बन्द करने के लिए लगी है तथा मु० ८०/-रू०, एक अदद सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ । पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र राम बाबू, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । इसकी जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू जिसके फल की लम्बाई ११ अंगुल एवं लोहे के बेंट की लम्बाई करीब १२ अंगुल है और मु० ११०/-रू० बरामद हुआ । मोटरसायकिल डिस्कवर पंजीयन सं० यू०पी० ४२-एक्स०/२७५७ की डिक्की को खोल कर देखा गया तो उसमें गैस सर्विस की पुरानी कुछ पर्चियाँ बरामद हुयी । मोटरसायकिल के कागजात प्रस्तुत नहीं किये जा सके । मोटरसायकिल को धारा २०७ मोटरवाहन अधिनियम सीज़ किया गया ।

बरामदशुदा पिस्टल व चाकूओं के संबंध में कोई लाईसेन्स प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्तों ने पूछतांछ में कई अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया । पुलिस दल पर जानलेवा फायर की घटना, बरामदशुदा पिस्टल एवं चाकूओं के संबंध में वैध लाईसेन्स प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में कारण बता कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । मौके पर जनता के गवाहान फराहम किये गये, परन्तु नावक्त होने के कारण कोई नहीं मिला। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में बोल-बोल कर एस०आई० करूणानिधि से लिखायी गयी । फर्द पर गवाहान हमराहियान एवं मौके पर उपस्थित बैंक मैनेजर ए०के०मिश्र के हस्ताक्षर कराये गये ।

अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में अभियोजन साक्षी सं० १ के रूप में वादी मुकदमा इंसपेक्टर सत्य नरायन वर्मा को परीक्षित कराया गया है । इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक १२-११-२०१४ को वह प्रभारी निरीक्षक,थाना-रूदौली, फैजाबाद में तैनात थे । उस दिन सुरागरसी-पतारसी माल-मुल्जिम मुकदमात की चेकिंग हेतु अपने हमराहियान के साथ फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर लोहिया पुल के पास क्राइम-ब्रांच स्वाट टीम के प्रभारी एस०आई० जय शंकर पाण्डेय अपने हमराहियान के साथ आकर मिले । उनसे हाल की घटनाओं के संबंध में वार्ता चल रही थी । तभी मु०अ०सं० मु०अ०सं० ४१७/२०१४ धारा ३९४ भा०द०सं० थाना-रूदौली के चोटहिल अवधेश कुमार मिश्र उन लोगों के पास रूक गये । ग्राम मीसा की तरफ से हाई-वे की तरफ आने वाले रास्ते से एक मोटरसायकिल, जिस पर तीन व्यक्ति बैठे दिखायी दिये । उन्होने रोका-टोका गया तो उन लोगों को जान से मारने की नीयत से मोटरसायकिल में पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर कर दिया । शक होने पर कि वे बदमाश हैं उन्हें घेर कर १०-१२ कदम की दूरी पर मोटरसायकिल सहित समय करीब १७.३० बजे बदमाशों को पकड़ लिया गया । वहीं पर मौजूद ए०के० मिश्र, बैंक मैनेजर आ गये और तीनों व्यक्तियों को देख कर कहा कि यही लोग हैं जो दिनांक १३-०९-२०१४ को अमानीगंज-रूदौली मार्ग पर मेरे साथ घटना किये थे। तीनों व्यक्तियों ने नाम पता एक ने पूछने पर अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश मिश्र पुत्र अनन्तराम मिश्र, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सत्यपाल पुत्र राम बाबू, निवासी कस्बा व थाना खण्डासा, फैजाबाद बताया । पुलिस दल द्वारा पहले आपस में जामा-तलाशी लिए जाने के बाद पकड़े गये तीनों व्यक्तियों की जामा-तलाशी ली गयी तो अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार की जामा-तलाशी से दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ एक अदद देशी

पिस्टल .३२ बोर चालू हालत में बरामद हुआ। उसके पैण्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस .३२ बोर जीवित व कुल ६०/-रू० मिला। दूसरे व्यक्ति राकेश मिश्र की जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू जिसका हुलिया फर्द में अंकित है तथा पैण्ट की दाहिनी जेब से मु० ८०/-रू०नकद एवं शर्ट की ऊपरी जेब से एक अदद सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति सत्यपाल की जामा-तलाशी से कमर में खोंसा एक अदद चाकू, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है और उसके पैण्ट की जेब से मु० ११०/-रू० बरामद हुआ। मोटरसायकिल डिस्कवर की डिक्की से गैस सर्विस की पुरानी ११ अदद पर्चियाँ बरामद हुयी। बरामद मोटरसायकिल के संबंध में कागजात दिखा नहीं सके। फायर किये गये खोखा कारतूस की तलाश की गयी, जो थोड़ी दूरी पर पड़ा मिला, जिसे कब्जे में लिया गया। बरामद सामानों को मौके पर अलग-अलग सील-मुहर करके नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद मोबइल के संबंध में अभियुक्त राकेश से पूछा गया तो उसने उसे चार माह पहले सड़क पर एक सोनार से लूटा बताया। अन्य कई आपराधिक घटनाओं के बारे में भी बताया। अभियुक्तगण को अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तार किया गया। फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी टार्च की रोशनी में एस०आई० के०एन०सरोज को बोल-बोल कर तैयार करायी गयी। फर्द पर गवाहान हमराहियान पुलिस कर्मी एवं बैंक मैनेजर ए०के०मिश्र के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी को इस साक्षी ने साबित किया और अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-१ अंकित किया गया। इस साक्षी ने तीनों अभियुक्तगण गिरफ्तारी मेमो एवं सूचना मेमो एस०आई० के०एन०सरोज से तैयार कराया जाना कहा, जिस पर प्रदर्श क-२ एवं प्रदर्श क-३ अंकित किया गया। साक्षी ने गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३०७ भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा ३/२५ एवं धारा ४/२५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाना एवं माल मुकदमाती सील मुहर हालत में थाने के मालखाने में दाखिल किया जाना कहा। मुख्य-पृच्छा के उपरान्त प्रति-पृच्छा हेतु यह साक्षी उपस्थित नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक के साक्षियों की श्रेणी में अभियोजन साक्षी सं० २ के रूप में कांस्टेबिल मोहर्रिर दिनेश कुमार यादव को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य-पृच्छा के साक्ष्य में कहा है कि दिनांक १२-११-२०१७ को वह कोतवाली रूदौली में कांस्टेबिल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन समय १२.३० बजे रपट सं० ४१ पर मुकदमे की कायमी मूल जी०डी० के साथ एक ही प्रॉसेस में कार्बनप्रति तैयार किया था। मूल जी०डी० से मिलान करके कार्बनप्रति कायमी जी०डी० को इस साक्षी ने साबित

किया, जिस पर प्रदर्श क-४ अंकित किया गया । कायमी मुकदमा एस०एस०ओ० सत्य नरायन वर्मा द्वारा बोल-बोल कर इस साक्षी से लिखाया जाना कहा । अपनी प्रति-पृच्छा में इस साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श क-४ के किसी पेज पर उसका हस्ताक्षर नहीं है । इस समय असल जी०डी० उसके समक्ष नहीं है । दरोगा जी माल सील मुहर हालत में लाये थे । उस पर गवाहों के हस्ताक्षर थे या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है । केवल मैंने दरोगा जी के वासी की कायमी उनके बताने के आधार पर किया है । साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसने प्रभारी निरीक्षक सत्य नरायन वर्मा का मातहत होने के कारण उनके दबाव में कायमी जी०डी० किता किया है ।

उपरोक्तरूपेण अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को साबित करने के संबंध में केवल एकल साक्षी अभियोजन साक्षी सं० १ इंसपेक्टर सत्य नरायन वर्मा को परीक्षित कराया गया है । उक्त साक्षी प्रति-पृच्छा हेतु उपस्थित नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त औपचारिक साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी सं० २ कांस्टेबिल मोहर्रिर दिनेश कुमार यादव को परीक्षित किया गया । तथ्य के अन्य साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष न तो परीक्षित कराया गया और न ही माल मुकदमाती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये । प्रस्तुत मामले के एकमात्र स्वतंत्र साक्षी बैंक प्रबंधक ए०के०मिश्र को भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया जोकि कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में सक्षम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी हो सकते थे । ऐसी परिस्थिति में यही उपधारणा की जायेगी कि यदि उक्त तथ्य के साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया होता तो वह अभियोजन कथन के प्रतिकूल ही कथन करते । अतः विद्यमान परिस्थितियों में घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं उनकी जामा-तलाशी से अवैध तमंचा .३२ बोर व एक अदद जीवित कारतूस तथ चाकू की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है ।

न्यायालय मत में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्याधार पर यह साबित करने में असफल है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में पुलिस दल के सदस्यों की आग्नेयास्त्रों से गोली चला कर हत्या करने का प्रयास किया गया और पुलिस दल द्वारा पकड़े गये तीन अभियुक्तगण के पास से दौरान जामा–तलाशी अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के पास से एक अदद देशी पिस्टल .३२ बोर चालू हालत में बरामद हुआ । उसके पैण्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस .३२ बोर, अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल की जामा-तलाशी से एक-एक अदद अवैध चाकू की बरामदगी हुयी ।

उपर्युक्तरूपेण पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी सम्पूर्ण साक्ष्यों की विवेचना के उपरान्त इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध आरोप धारा ३०७/३४ भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उक्त अभियुक्तगण आरोप धारा **३०७/३४ भारतीय दण्ड संहिता** से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अभियेाजन पक्ष अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोप धारा ३/२५ आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल के विरूद्ध आरोप धारा ४/२५ आयुध अधिनियम भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उक्त अभियुक्तगण अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार आरोप धारा **३/२५ आयुध अधिनियम** एवं अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल आरोप धारा **४/२५ आयुध अधिनियम** से भी दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, राकेश मिश्र एवं सत्य पाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **३०७/३४ भा०द०सं०** का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार को आयुध अधिनियम की धारा **३/२५** का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण राकेश मिश्र एवं सत्य पाल को आयुध अधिनियम की धारा **४/२५** का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें/बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

माल-मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

इस निर्णय की एक-एक प्रति सत्र परीक्षण सं० १९/२०१५ राज्य बनाम वीरेन्द्र कुमार, सत्र परीक्षण सं० २०/२०१५ राज्य बनाम राकेश मिश्र एवं सत्र परीक्षण सं० २१/२०१५ राज्य बनाम सत्य पाल की पत्रावली में रखी जाये।

(सत्य प्रकाश)
दिनांक २१-११-२०१८ षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
फैजाबाद।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सतिथि हस्ताक्षरित करके सुनाया गया ।

?

(सत्य प्रकाश)

दिनांक २१-११-२०१८ षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,

फैजाबाद ।